"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2010—भाद्र 27, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानंदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 07/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/10/2649.—दिनांक 13-9-2010 को नगर पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एन. आर. साहू,
अवर सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-07/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. चन्दू भैय्या, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

(पारित दिनांक 13 सितम्बर, 2010)

1. यह प्रकरण ज़िला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष पद के लिये आम निर्वाचन दिसंबर 2009 को सम्पन्न हुआ. जिसमें कुल 06 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. उक्त निर्वाचन का परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02 फरवरी 2010 द्वारा अवगत कराया कि नगर पंचायत कोटा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से संतोष यादव द्वारा 05 जनवरी 2010 को, अजय अग्रवाल (जय बस वाले) द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2010 को, अरूण महाराज एवं विमल गुप्ता द्वारा 22 जनवरी 2010 को तथा अजय गुप्ता द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. लेकिन चन्दू भैया द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थी चन्दू भैया को कारण बताओ सूचना 08 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना 18 मार्च 2010 को तामील किया गया है. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को विधिवत् तामील होने के उपरांत भी उनके द्वारा अपना जवाब निर्धारित अवधि अथवा उसके बाद आज दिनांक पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत कोटा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चन्दू भैया ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना नहीं दिया; अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि चन्दू भैया प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहें हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी अर्थात् चन्दू भैया निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल

करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष एवं ग्यारह माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

5. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.